

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क. ५५७९ / ००६-०४ / प्र.अ. / मॉनि. / ज.गु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / १२ भोपाल, दि. १५/०५/२०१२

प्रति,

१. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र..... (म.प्र.)
२. समस्त अर्थात् यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल..... (म.प्र.)

विषय:- ग्रीष्म क्रह्तु में दूषित पेयजल से होने वाली वीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कार्यवाही।

सदर्न:- इस कार्यालय का पत्र क. ३०९६ / ००६-४ / प्र.अ. / मॉनि. / ज.गु.अ.स. / भोपाल दि. २५.०३.२००८

यह सर्वविदित है कि ग्रीष्म क्रह्तु के प्रारंभ होते ही दूषित पेयजल से होने वाली वीमारियों जैसे:- दस्ता, हैंजा, पेचिरा, आंत्रशोध व पीलिया आदि का प्रकोप घढ़ जाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं उनका अवलोकन कर पालन सुनिश्चित करें, विशेष रूप से ग्रीष्म क्रह्तु में वीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्न विन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

(अ) ग्रामीण जल प्रदाय क्षेत्र

- (१) ग्रामवासियों को समझाइश दी जाए कि वे गुद्ध पेयजल स्त्रोतों से प्राप्त पानी का ही गीने व भोजन पकाने के लिए उपयोग करें, यदि खुले कुएँ के पानी को गीने के उपयोग में लाया जाता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से डिसइन्फेक्शन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित बी जाए अथवा उसे छानकर स्वच्छ पात्र में भरने के बाद क्लोरीन टैबलेट डालकर/उबालकर ही उपयोग किया जाए।
- (२) जिन हैंडपॉंग में प्लेटफॉर्म, नाली नहीं बनी हैं या टूट गए हैं उन्हें तत्काल निर्मित/सुधार करें एवं सभी सुधार योग्य खराद हैंडप॑प तत्काल ठीक कराए जावे।
- (३) हैंडप॑पों के जल की निकासी की समुचित व्यवस्था हो जिससे इनके आसपास गंदगी/कीचड़ नहीं हो।
- (४) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल जन्य व्याधियों के फैलने की सूचना/आशंका एवं पूर्व घटनाएं हो चुकी हों वहाँ के पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की जौच प्राथमिकता पर करावें व ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी अत्यंत आवश्यक हैं। आवश्यकतानुसार नियंत्रणात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही करें।

जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों एवं पंचायतों के माध्यम से यह संदेश प्रचारित-ग्रासारित किया जाए कि :—

- (४.१) ग्रामीण नलजल योजनाओं की दंकियों में उचित मात्रा में एवं गुणवत्ता के ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से (डिसइन्फेक्शन) जोयाणुनाशन किया जाए एवं न्यूनतम ०.२ मि.ग्रा./लीटर अवशिष्ट (रेसिड्यूल) क्लोरीन की मात्रा सुनिश्चित की जाए।

- (4.) ग्रामवासी खेत में कट करने जाते तमय नलकूप अथवा स्थच्छ लूओं का ही पानी पीने के लिए स्रोत ले जाए एवं किसी भी स्थानीय खेत के प्रदूषित स्रोत से पानी का उच्चन नहीं करें।
- (5) स्थानीय पचायतों को पश्चात् दि किं वे बीचिंग पाउडर/ब्लोरीन की समुचित मात्रा जल प्रदाय हेतु उपलब्ध रखें। इसे उचित रूप से भड़ारित किया जाए जिससे इसके प्रभावी गुण नष्ट न हों।
- (6) पंचायत विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से भी आवश्यक समन्वय कर, उपरोक्त विभिन्न कार्यवाहीया सुनिश्चित करें।

(v) नगरीय जल प्रदाय क्षेत्र :-

- (1) सभी स्थानीय निकायों को अवगत कराएं कि उनके अधीनस्थ जल प्रदाय के सभी स्रोतों, जल यंत्रालयों व वितरण प्रणाली का तत्काल निरीक्षण कर पेयजल उपचार हेतु आवश्यक सामग्री आदि की सामिक उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं पर्याप्त डिस्ट्रिक्यूशन भी सुनिश्चित करें।
- (2) वितरण प्रणाली के अंतिम बिन्दु पर न्यूनतम ५२ मि.ग्रा./लीटर अवशिष्ट (रिसिड्यूल) क्लोरीन की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए एवं वे पानी का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करें।
- (3) वितरण प्रणाली में लोकेज व टूट फूट होने पर स्थानीय निकाय इन्हें तत्काल ठीक कराये ताकि जल प्रदाय दंद हो जाने के बाद ऋणात्मक दबाव के कारण पाईम लाहन में प्रदूषण प्रविष्ट नहीं हो।
- (4) नगर के निजी जल स्त्रोत जैसे:- निजी कुएँ/हैंडपापों का भी डिस्ट्रिक्यूशन, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें। इसी प्रकार होटलों में मिलने वाले पेयजल तथा वर्फ की भी गुणवत्ता एवं निरंतर/नियमित डिस्ट्रिक्यूशन को भी वे सुनिश्चित करें।

पेयजल परीक्षण के लिए जिले की तथा उपर्युक्त की विभागीय प्रयोगशाला का उपयोग करें तथा संदर्भ परीक्षण या आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुरोधान प्रबोगशाला भोपाल से भी संपर्क करें।

दृष्टि पानी से होने वाली धौनारियों की सधन मॉनोटरिंग की जावे इसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से, पंचायत विभाग से, जिला प्रशासन से व नगरीय निकायों से भी अनुरोध समन्वय रखें।

(एन. के. संहरा)
प्रमुख अधिकारी

पुक्र. ८८७९
००६-०४ / प्र.अ. / मॉनि. / ज.गु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / १२ भोपाल, दि १५/०५/२०१२
प्रतिलिपि:-

- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य योग्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य योग्यिकी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य योग्यिकी, विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- समस्त कलेक्टर, जिला(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य योग्यिकी विभाग, खंड / परियोजना खंड / संधारण खंड(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अधिकारी